



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं०: 8वीं/यूपी०/०६/२६४/२०२२/एफ.सी./१५०२

दिनांक: 07.10.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/26736/2017

विषय: कार्योपरांत स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन०एच०-८०) किमी० ०५ दायीं पट्टी खसरा सं०-३० प्राग दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित ०.०७५९५ हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : सचिव(वन), उ०प्र० शासन का पत्रांक-१०५५/८१-२-२०२२-८००(१४४)/२०१९, दिनांक ०६.०८.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. Revised CA scheme and related documents for plantation of 152 saplings shall be submitted and uploaded on PARIVESH Portal.
2. As per the Google earth imageries dated 13-07-2021, existing trees are visible on the proposed CA land area. This needs clarification.
3. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/ or 3B of FC Act, as may be applicable.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़।
5. प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुरादाबाद मण्डल पकवाड़ा जिला मुरादाबाद।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1294/11सी- FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर ०८, २०२२

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली, रोड एन०एच० २४, पोस्ट पकवाड़ा, जिला-मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।